



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 75]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

वस्त्र मंत्रालय

(वस्त्र आशुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना (संशोधित)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

हैंक यार्न पैकिंग

सं. 7/टीडीआरओ/6/2019.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 2001 के खण्ड 3, 8 एवं 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं वर्तमान हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17/04/2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं. 4/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31/03/2010, सं. 5/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02/09/2015 एवं सं. 06/टीडीआरओ/8/2018 दिनांक 25/05/2018, में, निम्नानुसार संशोधन करता हूँ:—

क्र. सं.	हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या 2/टीडीआरओ /8/2003 दिनांक 17/04/2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना संख्या 04/टीडीआरओ /8/2010 दिनांक 31/03/2010 के मौजूदा पैरा जिसमें संशोधन किया जाना है	मौजूदा उपबंध	संशोधित उपबंध
1.	भाग-II, पैरा 6(1)	यार्न का प्रत्येक उत्पादक जो नागरी उपयोग के लिए यार्न पैक करता है वह जनवरी-मार्च, 2003 की अवधि से शुरु होने वाली प्रत्येक त्रैमासिक अवधि एवं प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक अवधि में हैंक रुप में उतना यार्न पैक करेगा, जो नागरी	यार्न का प्रत्येक उत्पादक जो नागरी उपयोग के लिए यार्न पैक करता है वह जनवरी-मार्च, 2019 की अवधि से शुरु होने वाली प्रत्येक त्रैमासिक अवधि एवं प्रत्येक अनुवर्ती त्रैमासिक अवधि में हैंक रुप में उतना यार्न पैक करेगा, जो नागरी

	<p>उपभोग हेतु प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के दौरान उसके द्वारा पैक किये गए कुल यार्न के अनुपात में 40% से कम न हो।</p> <p>उपबंधित करता है कि हैंक रुप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 80 एवं उससे कम काउंट का होगा।</p>	<p>उपभोग हेतु प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के दौरान उसके द्वारा पैक किये गए कुल यार्न के अनुपात में तीस प्रतिशत (30%) से कम न हो।</p> <p>उपबंधित करता है कि हैंक रुप में पैक किया जाने वाले यार्न का कम से कम 80 प्रतिशत 80 एवं उससे कम काउंट का होगा।</p>
--	---	---

हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना संख्या सं. 2/टीडीआरओ/8/2003, दिनांक 17/04/2003 सहपठित संशोधित अधिसूचना सं. 4/टीडीआरओ/8/2010 दिनांक 31/03/2010, सं. 05/टीडीआरओ/8/2015 दिनांक 02/09/2015 एवं सं. 06/टीडीआरओ/8/2018 दिनांक 25/05/2018, की अन्य शर्तों एवं विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह अधिसूचना 1 जनवरी 2019 से लागू होगी।

संजय शरन, वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office Of The Textile Commissioner)

NOTIFICATION (AMENDMENT)

New Delhi, the 7th March, 2019

HANK YARN PACKING

No. 7/TDRO/6/2019.—In exercise of the powers conferred on me under clause 3, 8, and 11 of the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 issued under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, I hereby amend the existing Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003 read with Amendment Notifications No.04/TDRO/8/2010 dated 31.03.2010, No. 05/TDRO/8/2015 dated 02.09.2015 and No. 06/TDRO/8/2018 dated 25.05.2018, as under:

Sr. No.	Existing Para of Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003 read with amendment notification No. 04/TDRO/8/2010 dated 31.03.2010 which is to be amended	Existing Provisions	Amended provisions
1.	Part –II , Para 6 (1)	<p>Every producer of yarn who packs yarn for civil consumption shall pack yarn in hank form in each quarterly period commencing from January-March, 2003 and in every subsequent quarterly period, in proportion of not less than forty percent (40%) of total yarn packed by him during each quarterly period for civil consumption;</p> <p>Provided that not less than eighty percent of the yarn required to be packed in hank</p>	<p>Every producer of yarn who packs yarn for civil consumption shall pack yarn in hank form in each quarterly period commencing from January-March, 2019 and in every subsequent quarterly period, in proportion of not less than thirty percent (30%) of total yarn packed by him during each quarterly period for civil consumption;</p> <p>Provided that not less than eighty percent of the yarn required to be packed in hank</p>

		form shall be of counts 80s and below.	form shall be of counts 80s and below.
--	--	--	--

All other terms and conditions mentioned in the Hank Yarn Packing Notification No. 2/TDRO/8/2003 dated 17.04.2003 read with amendment Notifications No. 04/TDRO/8/2010 dated 31.03.2010, No. 05/TDRO/8/2015 dated 02.09.2015 and No. 06/TDRO/8/2018 dated 25.05.2018, will remain unchanged.

This notification shall come into force w.e.f. the 1st of January, 2019.

SANJAY SHARAN, Textile Commissioner